न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु.नं. 37/17 तारीख रजू 14.6.17

उनवान – रघुनाथ बनाम भवानी वगैरा
ग्राम सैनपुर

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ. पेश किया। जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस से तलब कर दिनांक 7-7-17 को पेश हो।

2368-72
14.6.17

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

7.7.17

प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी नं. 1 ता. 4 की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवो. ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी नं. 5 बावजूद उपस्थित नहीं है। P.O. सा० कैम्प में पधारे हैं। आईन्दा दि० 28.7.17 को पेश हो।

28.7.17

वकील उप०। अप्रार्थी नं. 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। जवाब पेश करने दि० 7.9.17 को पेश हो।

जगदीश आर्य
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम

Scanned by CamScanner

यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

6.3.19 वकुलाय उप०/ बहस हेतु समय चाहा दिया गया/ बाते बहस दिनांक 25.3-19 को पेश हो।

25.3.19
वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी चुनाव की ट्रेनिंग में जयपुर है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 1.4.19 को पेश हो।

1.4.19
वकुलाय उप०/ बहस हेतु दिनांक 2.4.19 को पेश हो।

2.4.19
पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रख गया है। पीठासन अधिकारी करौली पधारे है। अतःनुसार दिनांक 9.4.19 को पेश हो।

9.4.19 वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 28.5.19 को पेश हो।

28.5.19
वकुलाय उप०/बहस हेतु समय चाहा/पत्रावली दिनांक 28.5.19 को पेश हो।

28.5.19
पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण प्रार्थी वकील ने बहस प्रारम्भ करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया कि ग्राम कमालपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 2477 रकबा 1.90 है०, 2479 रकबा 0.50 है०, कुल किता 2 कुल रकबा 2.40 है० मे सायल हिस्सा 1/3 तथा गैरसायल नं. 1, 2 प्रत्येक 1/3-1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजीयात के साबिक

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम

खसरा नम्बर 2003/2/2 है। पूर्व खातेदार जगदीश महाजन से सायल के ससुर किसन्या ने भूमि खरीद की थी। सायला की पत्नि के नाम बेचान नामा कर कब्जा कराकर गांव कैलाई चला गया। किशन्या की मृत्यु के बाद उक्त आराजीयात विरासत से तीन पुत्रो कमोद, रामसिंह, रामजीलाल के नाम आ गई। रामजीलाल की मृत्यु के बाद उसके वारिसान के नाम आगई एवं उनके मन मे बदनियति आगई। और हमारे नाम रजिस्ट्री नही कराई। गैरसायलान ने कहा कि हमने हमारे नाम रजिस्ट्री करा ली है। हम काश्त करेगें। कब्जा हमारा ही आराजीयात की खातेदारी हमारे नाम करने के अधिकारी है इसलिए गैरसायलान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द को पाबन्द फरमाया जावे। वकील गैरसायल ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया कहा कि किसन्या ने सायल की पत्नि के नाम का तो बेचाननामा लिखा है, नहि कब्जा कराया है नहि इन्होने कभी काश्त की है गैरसायलान द्वारा खरीद की गई भूमि को जबरन हडपने की गरज से यह गलत व झूठा दावा एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है विवादग्रस्त आराजीयात मे हिस्सा 2/3 खरीदशुदा से सायल का दीगर व्यक्तियो का कोई संबंध किसी प्रकार से नही है तहसीलदार टोडाभीम से शाह रिपोर्ट मौका के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि सायल हिस्सा 1/3 पर एवं गैरसायलान हिस्सा 2/3 पर काबिज है

यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

इसलिए प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायल खारिज किया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष पर [redacted] मनन किया। पत्रावली, दावा पत्रावली में शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। एक अन्य प्रकरण उनवानी भगवानी देवी वगै० बनाम रघुनाथ वगै० प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 17/17 में भी निर्णय दिनांक 17.5.17 से उक्त आराजीयात ख०नं० 2477 रकबा 1.90 हे०, 2479 रकबा 0.50 कुल किता 2 कुल रकबा 2.40 हे० पर रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए [redacted] पाबन्द है। अतः उभयपक्षरान को दावा के फैसला होने तक ग्राम कमालपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 2477 रकबा 1.90 हे०, 2479 रकबा 0.50 हे० कुल किता 2.40 हे० पर जमाबन्दी में दर्ज हिस्सा के अनुसार रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 28.5.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दुर्गाप्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner